# न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 18/2025**

**जी.सी.एम.एस.नम्बर :: 2025/25**

**प्रार्थीगण:–**

1. अब्दुल सत्तार पुत्र स्व. एहमदजी, निवासी जवाईबांध, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
2. नूर मोहम्मद पुत्र स्व. एहमदजी, निवासी जवाईबांध, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
3. इकबाल पुत्र स्व. एहमदजी, निवासी जवाईबांध, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण:–**

मेडतिया गोडवाड सिलावट समाज मुख्यालय, जवाई बांध, तहसील सुमेरपुर के कार्यकारी सदस्य

1. दीन मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम लुनावा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
2. जाफर हुसैन पुत्र उमरखां, निवासी ग्राम बलवाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
3. डॉ. नूर मोहम्मद पुत्र मिश्रुखां, निवासी ग्राम पिण्डवाड़ा, रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली (रेलवे स्टेशन के पास) तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही (राज.)
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

**"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"**

**उपस्थित :–**

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

**–: निर्णय :–**

**दिनांक : 07.07.2025**

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद संख्या 89/2018 बअनवान दीन मोहम्मद बनाम अब्दुल सत्तार वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी न्यायालय समय में वक्त बहस उपस्थित आये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

जिला कलक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील प्रार्थना पत्र में संबंधित पीठासीन अधिकारी एवं रीडर द्वारा पूर्व में काफी समय तक तो प्रतिवादीगण को सम्मन ही नहीं भिजवाये और उक्त प्रकरण सन् 2018 से सन् 2022 तक तो तलबी में ही विचाराधीन रहा तत्पश्चात वादी ने प्रतिवादी संख्या 04 का नाम हटाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 16.11.2022 को हटाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के साथ वादी अप्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्रार्थना–पत्र में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ रीडर जो वादी समाज मेड़तिया गोडवाड सिलावट समाज के अधिकृत प्रतिनिधि वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर के रीडर जो वर्तमान पीठासीन अधिकारी के अधीनस्थ रीडर होने से उसके प्रभाव में एवं उनके कहे अनुसार उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र में किसी भी वैद्य तथ्यों का विवेचन किये बिना तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये स्थगन आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद में रीडर स्वयं पक्षकार संयोजित होने से आये दिन उक्त पत्रावली में अपने मनमानी तरीके से तारीख पेशी देते है तथा आये दिन प्रतिवादी को धमकी देते है कि उसके विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही कर विवादग्रस्त सम्पति को रिसिवर के कब्जे में सुपुर्द कर देंगे तथा प्रतिवादी को उसके कब्जे की एवं मालिकाना अधिकार की सम्पति के उपयोग एवं उपभोग से वंचित कर देंगे। इस प्रकार वादी समाज के प्रतिनिधि व अधीनस्थ न्यायालय का रीडर जिसका आये दिन वादी पक्षकार के साथ अपना हित रखते हुए एवं प्रतिवादी प्रार्थी का अहित एवं उसे न्याय से वंचित करने हेतु आये दिन योजना बना कर प्रतिवादी को उसकी वादग्रस्त भूमि से वंचित करने हेतु षडयंत्र रचता है। इस कारण वर्तमान हालात व परिस्थितियों में प्रतिवादी प्रार्थी पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय से कोई वास्तविक न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः राजस्व अदालतों में प्रकरण के पक्षकारों को सही व त्वरित न्याय प्राप्त हो तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं हो एवं वर्तमान पीठासीन अधिकारी उक्त वाद की सुनवाई नहीं कर पक्षकारों को सही व निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त वाद को तत्काल उपखण्ड अधिकारी रानी, देसूरी या बाली तीनों न्यायालयों में से किसी भी एक न्यायालय को तत्काल सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए उपरोक्त आधारों को तथ्यहीन बताते हुए अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में हमेशा से ही दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर दिये जाकर कार्यवाही की जा रही है तथा तारीख पेशियां भी सभी पक्षकारान के अधिवक्ता की सहमति के बाद ही नियत की जाती है तथा प्रत्येक पेशी पर अधिवक्ता प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज रही है एवं न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायहित में पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किये गये है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा द्वेषपूर्ण भावना अथवा रीडर के दबाव में ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किये, जो अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस बताये गये है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित

जिला कलेक्टर, पाली

समस्त तथ्य मनगढंत, मिथ्या एवं औचित्यहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 1988 page no 606, RRD 1972 Page no 70 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर से प्राप्त प्रकरण में मूल पत्रावली में वर्णित आदेशिकाओं का गहनता से अध्ययन करने पर यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों को साक्ष्य, सबूत/दस्तावेज पेश करने तथा सूनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा रहे है एवं उभयपक्ष की उपस्थित में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी के विरूद्ध विधि एवं प्रावधानों के परे जाकर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जो कि प्रार्थना पत्र की आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने पर यह तथ्य कि रीडर उक्त प्रकरण से कोई पूर्वाग्रह रखता हो, प्रथम–दृष्ट्या प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय में रीडर द्वारा केवल न्यायालय की पत्रावलियों का संधारण किया जाता है जबकि न्यायालय के समस्त आदेशिका व निर्णय संबंधित समस्त कार्य स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किये जाते है न कि रीडर द्वारा। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभिकथन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कदापि प्रतीत नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया से हटकर, दुर्भावना अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्यवाही की गई हो। हस्तगत प्रकरण में जब प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर के सम्बन्ध में पूर्वाग्रह रखने के विचार एवं उनके कथन प्रमाणित ही नहीं हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है उक्त प्रकरण का बिना कोई न्यायालय अन्तरण किये न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु भिजवाया जावे ताकि प्रकरण का नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हो सके।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद संख्या 89/2018 बअनवान दीन मोहम्मद बनाम अब्दुल सत्तार वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मूल ही न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर को सुनवाई हेतु लौटाया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली